भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3790
11/08/2026 को उत्तर के लिए

पीएमएमएसवाई का विस्तार

3790. श्री अरविंद गणपत सावंत:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का वर्ष 2025-26 के बाद प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि नहीं, तो मत्स्यपालन क्षेत्र को सुदृढ़ करने और रोजगार के सृजन में उक्त योजना की भूमिका के बावजूद इसे बंद किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) वर्तमान में महाराष्ट्र में पीएमएमएसवाई के अंतर्गत कार्यरत मल्टी टास्किंग स्टॉफ (एमटीएस) की जिला-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार का उक्त योजना के अंतर्गत कई वर्षों से कार्यरत कुशल एमटीएस कर्मियों की सेवाओं को नियमित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि उक्त योजना का विस्तार नहीं किया जाता है, तो क्या सरकार का उक्त कर्मियों को वैकल्पिक रोजगार के अवसर प्रदान करने या उन्हें समायोजित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ङ): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, वित्त वर्ष 2020-21 से महाराष्ट्र राज्य सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) को कार्यान्वित कर रहा है और इस योजना की अवधि 30 सितंबर, 2026 तक बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में PMMSY के तहत कुल 145 संविदा-आधारित मल्टी-टास्किंग स्टाफ़ (MTS) कार्यरत हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत वर्तमान में कार्यरत MTS का जिलावार विवरण निम्नानुसार है::

क्रम.सं	**जिले का नाम**	**कार्यरत MTS की संख्या**
1	मुंबई शहर	5
2	मुंबई उपनगर	7
3	ठाणे	2
4	पालघर	15
5	रायगढ़	38
6	रत्नागिरि	45
7	सिद्धूदुर्ग	33
	कुल	**145**

मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार के पास कुशल MTS की सेवाओं को नियमित करने, उन्हें वैकल्पिक रोजगार के अवसर प्रदान करने अथवा उक्त कार्मिकों को समायोजित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के प्रावधानों के अनुसार इस योजना के अंतर्गत नियोजित मानव संसाधन की नियुक्ति योजना की अवधि के साथ सह-समाप्त होती है।
